

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 15 जनवरी, 2019

अधिसूचना संख्या.02/2019-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. (अ):- सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचनाओं को, जिन्हें निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट तदनुरूपी सा.का.नि. संख्या द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए छूट गई वस्तुओं के अलावा, निरस्त करती है।

तालिका

क्रम संख्या.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. संख्या
(1)	(2)	(3)
1	30/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 मई, 2018	514(अ) दिनांक 30 मई, 2018
2	31/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2018	515(अ) दिनांक 30 मई, 2018

[फा.न 354/211/2016-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव भारत सरकार